

उत्तर प्रदेश सरकार

युवा कल्याण विभाग

संख्या:-1387/पचास-यु0क0-2013-180 पी0वी0डी0/82

लखनऊ : दिनांक 17 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के पुरन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिग्रहण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सेवा में शर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सेवा नियमावली, 2013

भाग-1 सामान्य

- | | |
|-------------------------|---|
| संक्षेप नाम और
आरम्भ | 1 (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सेवा नियमावली, 2013 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| सेवा की प्राप्ति | 2 उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सेवा में समूह-'क' और समूह-'ख' के पद समाविष्ट हैं। |
| परिभाषा | 3 जब तक विषय या संदर्भ में प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-
(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;
(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य उप निदेशक और सहायक निदेशक-सह-कमण्डेन्ट के पदों के संबंध में राज्यपाल से है और जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पदों के सम्बन्ध में युवा कल्याण विभाग में, यथास्थिति, सरकार के प्रमुख सचिव या सचिव से है;
(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसा व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;
(घ) 'आयोग' का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है;
(ङ.) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;
(च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;
(छ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;
(ज) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है; |

- (झ) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है
- (ञ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सेवा से है;
- (ट) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;
- (ठ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग - दो - संवर्ग

सेवा का संवर्ग

- 4 (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
- (2) जब तक कि उप-नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिए जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्नवत् होगी:

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	उपनिदेशक	1	0	1
2	सहायक निदेशक-सह-कमाण्डेन्ट	2	1	3
3	जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल	70	1	71

परन्तु यह कि:-

- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।
- (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग - 3 - भर्ती

भर्ती का स्रोत

- 5 सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर निम्नलिखित स्रोतों से भर्ती की जायेगी:-
- (1) उप निदेशक-मौलिक रूप से नियुक्त सहायक निदेशक-सह-कमाण्डेन्टों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(2) सहायक निदेशक-सह-कमोण्डेन्ट- मौलिक रूप से नियुक्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(3) जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी-

(एक) पच्चास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) पच्चास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों और मौलिक रूप से नियुक्त व्यायाम प्रशिक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

टिप्पणी-

पदोन्नति के प्रयोजन के लिए व्यायाम प्रशिक्षकों और क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों की एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

आरक्षण

- 6 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

भाग - चार-अर्हताएं

- 7 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्ववर्ती बर्मा), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी-ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

- शिक अर्हता 8 जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो।
- अधिमान अर्हता 9 अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा-
- (क) जिसने प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(ख) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
- आयु 10 सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी की आयु उस कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जाय, 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये:
- परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।
- चरित्र 11 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।
- टिप्पणी-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए, दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।
- वैवाहिक प्रारिथति 12 सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;
- परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।
- शारीरिक स्वस्थता 13 किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड द्वारा परीक्षा को उत्तीर्ण कर ले:
- परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गये किसी अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- टिप्पणी-जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शारीरिक स्वस्थता के लिए न्यूनतम मानक निम्नवत् दिये गये हैं:-

